न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /01/2025

1—लक्ष्मन उर्फ कल्ला पुत्र हरीसिंह । जाति गूजर निवासी ग्रांम माढौनी
2—रामेश्वर उर्फ गज्जन पुत्र हरीसिंह । तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
3—विजयराम उर्फ मूली पुत्र हरीसिंह ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1—भगवानसिंह पुत्र भौरिया
2—खिल्लन पुत्र भौरिया जाति मीना निवासी ग्रांम माढौनी तहसील व
3—नत्थी पुत्र दौजी जिला भरतपुर
4—रुपसिंह पुत्र दौजी

.....रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 2.12.2024 तहसीलदार भरतपुर अंतर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट 1955 उनवानी मुकदमा भगवानसिंह वगे. लक्ष्मन वगे.

उपस्थितः—
1—श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 29.04.2026

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश दिनांक 2.12.2024 तहसीलदार भरतपुर अंतर्गत धारा 183बी आर.टी.ए. उनवानी मुकदमा भगवानसिंह वगे. लक्ष्मन वगे. पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.2024 में धारा 183बी आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 566/1056 रकवा 0.06 है0 पर से अपीलान्टान को बेदखल किये जाने की आज्ञा दी गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एंव पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित आये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट के पूर्वज आराजी खसरा नम्बर 686 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा व 690 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा के खातेदार थे। जिसके नये खसरा नम्बर 566/0.25 व 795/0.15 किता 2 रकवा 0.40 है. बनाये है। जो गत रकवा के मुकाबले 0.01 व 0.05 कुल 0.06 है0 कम दर्ज किया गया है। भूप्रबन्ध

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

विभाग ने 566/1056/0.06 है0 को खिलाफ मौका वखिलाफ कानून खसरा नम्बर 664 मिन से निर्मित करते हुये हाल खसरा नम्बर की उत्तरी भुजा को डाटेड लाईन से तिरछाकर नया खसरा नम्बर 566/1056 के मध्य कोई डोल मेड नहीं है दोनों का एक चक रकवा है। रेस्पो. का इस पर कोई विधिक अधिकार नहीं है और ना ही रेस्पो. इस पर भौतिक रुप से कब्जा काश्त है । योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है विवादित आराजी को लेकर सहायक कलेक्टर भरतपुर न्यायालय में एक दावा पेश किया हुआ है, जिसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर पक्षकारान के हक हकूक तय होने है। इसी दावे में सहायक कलेक्टर ने 11.7.24 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, इस पर तहत न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और स्थगन के होते हुये नियमों के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 163, आरआरडी 1990 पेज 270, आरआरडी 1996 पेज 84, आरआरडी 1985 पेज 170, आरआरडी 2014 पेज 404, आरआरडी 2010 पेज 132, आरआरडी 2003 पेज 459, आरआरडी 2002 पेज 623, आरआरडी 1965 पेज 126, आरआरडी 1972 पेज 252, एवं डीएनजे 2024 पेज 336 उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्टान का नाजायज कब्जा है। तहत पत्रावली में रिपोर्ट हल्का पटवारी से यह तथ्य स्पष्ट है। उन्होने यह भी बताया कि दोनों खसरा नम्बर दूर दूर स्थित है इसलिये एक चक होने का प्रश्न ही नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कहना है कि दुरस्ती का दावा पेश किया हुआ है। स्थगन आदेश तहत न्यायालय के आदेश के बाद का है। अपील अपीलान्टान खारिज की जावे।

हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि विवादित आराजी को लेकर सहायक कलेक्टर भरतपुर न्यायालय में एक दावा विचाराधीन है। विचाराधीन दावा में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं। अपीलान्टान की ओर से दावा के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट भी पेश किया हुआ है, जिसमें सहायक कलेक्टर भरतपुर ने दिनांक 11.7.2024 को इकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पो. को पाबन्द किया गया है इसके बाद सहायक कलेक्टर भरतपुर ने प्रार्थना पत्र 212

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटी एक्ट पर सुनवाई की जाकर अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा तारीखी 11.07.24 को कन्फर्म किये जाने के आदेश 19.8.2025 को पारित किये गये है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.24 पारित करते समय विवादित आराजी पर स्थगन था। तहसीलदार भरतपुर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तहत न्यायालय ने नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। आर.आर.डी. 1998 पेज 163 में प्रतिपादित किया है कि :–

> ".....Cod of Civil Procedure, sections 10 & 151 During proceedings u/s 183 (B), RT Act application filed by petitioner u/s 10 read with Sec. 151,CPC, rejected by Tehsildar- Revision- Held,regular suit for declaration in respect of disputed land is pending in the Court of Asstt.Collector since 4-10-88 –Application subitted u/s 183 (B) on 16-12-91 Application filed u/s 10 r/w Sec.151, held wrongly rejected by Tehsildar- Allowing Tehsildar to proceed in case u/s 183 (B) will create multiplicty of suits between parties in case the orders given by Tehsildar and Asstt. Colletor differ- Order set aside – Proceedings directed to be kept pending u/s 183 (B) till disposal of regular suit. ....."

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार के रहती है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2024 को सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन दावा के निर्णय होने तक (Kept pending) स्थगित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.2024 को सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन दावा के निर्णय होने तक (Kept pending) स्थगित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर